

07
2025 वकील अग्रणी द्वारा उर्वना पत्र
मिसल तलबी पेश करने पर पत्रावली निमत
तारीख पेशी से पूर्व आज तलब की गई।
वकील अग्रणी ने डा. 0 पत्र पेश कर
निवेदन किया कि उल्लेख में राजस्व बण्डल
राजस्वान, अजमेर द्वारा उल्लेख का एक
माह में निस्तारण का आदेश किया हुआ
है। अतः उल्लेख में चूरी तारीख पेशी निमत
किया जाना आवश्यक होने पर पक्षकारों को
शीघ्र सुनवाई हेतु नोटिस जारी होकर मिसल
दिनांक 21/07/2025 को पेश हो।

21/07/2025

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

बलुलाय उपा. वकील अग्रणी
सं. 2 दाखली डेवी का हजफा होने पर उपा
पत्रा काबत नाम हजफा कलाने पेश कर निवेदन
किया कि अग्रणी सं. 2 के अधिक वारिसान
पूर्व से रिकार्ड पर हैं। इस कारण अग्रणी सं.
2 दाखली डेवी का नाम हजफा फरमाने की
कृपा करें। वकील अग्रणी का डा. फा काबत
नाम हजफा कलाने न्यायहित में हकीकत किया
जाकर अग्रणी सं. 2 दाखली डेवी का नाम
काल हयही से हजफा किया जाता है। इसके
बिना मिसल दिनांक 25/07/2025 को पेश
हो।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)



तारीख
हुक्म

रमबी/नन्दाराम
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
Gcms-2023/479

नंबर व
जो
तामील

25/07/2025

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप0। प्रार्थना पत्र टी0 आई0 पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 04.08.2025 को पेश हो।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

04/08/2025

वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। वकुलाय उप0। प्रार्थना पत्र टी0 आई0 पर बहस वकुलाय उभयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र टी0 आई0 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए करने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस के प्रत्युत्तर में वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, जवाब प्रार्थना पत्र टी0 आई0 एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवम् बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थना पत्र टी0 आई0 से संबंधित मूल वादपत्र विभाजन का अनुतोष प्राप्त करने हेतु पेश किया गया है। मूल वादपत्र प्रतिवादी के जवाब के इन्तजार में विचाराधीन हैं। पक्षकारान की खातेदारी भूमि का बँटवारा सह खातेदारान के मध्य मूल वादपत्र में गुणावगुण के आधार पर किया जाना है। अतः तादौराने फैसल वाद उभय पक्षकारान वादग्रस्त आराजी ख0 नं0 1340, 1341, 1455, 1456, 1457, 1574, 1575, 1576, 1579, 1580, 1582, 1583, 1585, 1586, 1587 कुल किता 15 कुल रकबा 8.17 है0 तन ग्राम पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।



(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)